

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.कर्मी/ए/न्याया.प्रक./2013/1408  
प्रति,


भोपाल, दिनांक 01/6/13

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण,
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
5. समस्त सहायक आयुक्त आदिवासी विकास,


विषय :-निकाय अंतर्गत संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1, के नियोजन में दायर याचिकाओं में पारित निर्णय के संबंध में ।  
संदर्भ-म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 01-01/2012/20-1 भोपाल दिनांक 10.01.2012

विषयान्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा रिट पिटिशन क्रमांक 3311/2013 एवं अन्य समरूप याचिकाओं में संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1 के नियोजन में अंतरिम निर्णय पारित किया गया है कि संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1 की नियुक्तियां इस याचिका में पारित अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेंगी। अतः संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1 के नियुक्ति आदेश जारी करते समय नियुक्ति आदेश में निम्नानुसार उल्लेख किया जाए :-



“संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1 की यह नियुक्ति याचिका क्रमांक 3311/2013 एवं समप्रकृति की अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेंगी।”

  
(एस.के.पॉल) 1/6/13  
आयुक्त

पृष्ठां क्रमांक/शि.कर्मी/ए/न्याया.प्रक./2013/1401  
प्रतिलिपि:-

 लोक शिक्षण मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक 01/6/13

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
5. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल।

  
आयुक्त  
 लोक शिक्षण मध्यप्रदेश